रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257060
CG-DL-E-10092024-257060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946
No. 516] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

सा. का. नि. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक पोत परिवहन (अपील का प्ररूप और रीति) प्रारूप नियम, 2023 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 436क की अपेक्षानुसार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 336(अ), तारीख 19 जून, 2024 द्वारा प्रकाशित किए ग(ए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ; और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 19 जून, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:,अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 436क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक पोत परिवहन (अपील) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलार्थी" से वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति अभिप्रेत है और जो अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक के समक्ष अपील करता है ;

(ग) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ड.) "शास्ति" से अधिनियम की धारा 436 में विहित शास्ति अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3 अपील- (1) इस अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (3) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्ररूप में अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(2) अपीली, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी के पास फाइल की जाएगी ।

(3) अपील के साथ अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी के आदेश की प्रति और उन तथ्यों जिनके विरुद्ध अपील की गई है का स्पष्ट विवरण, अपील के लिए आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धारा संलग्न होगी ।

(4) अपील व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी द्वारा या उसके सम्यकत: प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में या इस निमित्त सम्यकत: नियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तीन प्रतियों में फाइल की जाएगी ।

(5) डाक द्वारा भेजी गई अपील अपील प्राधिकारी को उस दिन फाइल की हुई समझी जाएगी जिस दिन वह प्राप्त होती है ।

(6) यदि संवीक्षा किए जाने पर अपील ठीक पाई जाती है तो यह स्वीकार की जाएगी और यदि अपील त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को इसकी त्रुटियों के बारे में सुचित करेगा और पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसे त्रुटियों का सुधार करने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा यदि अपीलार्थी समयावधि के भीतर ऐसी त्रुटियों का सुधार करने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी अपील को रजिस्टर करने से इंकार करेगा और ऐसी इंकारी को इंकार करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अपीलार्थी को ऐसे इंकार किए जाने को सूचित करेगा ।

(7) सूचना के साथ अपील की प्रति, दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अपील प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी पर तामील की जाएगी ।

(8) प्रत्यर्थी अपील की सूचना की तामील की सात दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी के पास उत्तर फाइल कर सकेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी वाणिज्यिक समुद्री विभाग के संबंधित प्रधान अधिकारी से कार्यवाहियों के संबंध में अभिलेख की मांग कर सकेगा ।

(10) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त समझे ।

(11) अपील प्राधिकारी अपील के स्वीकार किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

4. आदेश और शास्तियां- (1) इन नियमों के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सभी पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा ।

(2) इन नियमों के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

5. अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश- (1) उपनियम (3) के अधीन रहते हुए अपील प्राधिकारी –

(क) अधिनियम धारा 436 की उपधारा (3) के अधीन उन आदेशों के विरुद्ध की गई अपील को पुष्ट या उपांतरित या अपास्त या उलट सकेगा ।

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट कर सकेगा या उसे कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या कोई शास्ति वहां अधिरोपित कर सकेगा जहां जहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है :

परंतु वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी को ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसी वृद्धि के लिए कारण सम्यकत: लेखबद्ध न कर दिया गया हो;

(ग) ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

(2) कोई शास्ति अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित अधिकतम शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगी ।

6. अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव-(1) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा ।

(2) नियम 3 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश यथासाध्य शीघ्रता से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

प्रारूप

अपील प्रधिकरण कई लिए आवेदन

(नियम 3 का उप नियम (1) देखें)

1. अपीलकर्ता का विवरण:

1.1. अपीलकर्ता का नाम:

1.2. अपीलकर्ता का पदनाम

1.3. अपीलकर्ता का पता:

1.4. अपीलकर्ता का टेलीफोन/मोबाइल नंबर:

1.5. अपीलकर्ता का ईमेल आईडी.:

1.6. अपीलकर्ता के विधिक प्रतिनिधि का नाम, पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।:

2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 436 की उपधारा (3) के अधीन अपील किए गए आदेश का विवरण।:

2.1. तारीख:

2.2. संख्या:

2.3. प्रधान अधिकारी का नाम:

2.4. वाणिज्य समुद्री विभाग का पता:

2.5. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा जिसका अपराध में संदर्भ है:

2.6. प्रधान अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना:

3. अपील का विवरण:

3.1. तथ्यों का विवरण:(मुद्दों के विस्तृत विवरण वाले कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और पैराग्राफ संख्या के साथ प्रदान करें जिसके अंतर्गत अपील में उत्पन्न होने वाले विधि के प्रश्नों सहित, प्रत्येक पैराग्राफ को संभवतः एक अलग मुद्दे से निपटना चाहिए)।

3.2. शिकायत का विवरण: (वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की उपधारा धारा 436 के अधीन प्रधान अधिकारी के आदेश के साथ मुद्दों को विस्तृत करते हुए शिकायत का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें)।

3.3. अपील के आधार: (अपील के स्पष्ट आधार और अपील का संक्षिप्त विवरण और सुसंगत विधि उपबंध, यदि कोई हो,उत्तर दे । नियम 3 के उप-नियम (3) देखें)

3.4. साक्ष्य: (एक से अधिक साक्ष्य के अपील मामले के औचित्य/आधार के लिए साक्ष्य प्रदान करें, उसकी एक अनुक्रमित कालानुक्रमिक सूची)।

3.5. प्रार्थना: (मांगे गए अनुतोश को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें)।

स्थान :

तारीख:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

[फा.सं.एल-11020/1/22-एमजी (भाग-1) (354601)

राजेश कुमार सिन्हा ,अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2024.

G.S.R. 558(E).—Whereas the draft of the Merchant Shipping (Form and Manner of Appeal) Rules, 2023 were published, as required by section 436A of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) (hereinafter referred to as the said Act), *vide* notification number G.S.R. 336 (E), dated the 19th June, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 19th June, 2024;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 436A of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Appeal) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires. -

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "appellant" means a person aggrieved with an order of the Principal Officer of the Mercantile Marine Department and prefers an appeal before the Director-General under sub-section (4) of section 436 of the Act;

(c) "Appellate Authority" means the Director-General of Shipping appointed under section 7 of the Act;

(d) "form" means a Form appended to these rules;

(e) "penalty" means the penalty prescribed in section 436 of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Appeal**. — (1) Any person aggrieved by an order of the Principal Officer of the Mercantile Marine Department under sub-section (3) of section 436 of the Act, may prefer an appeal to the Appellate Authority under sub-section (4) of section 436 of the Act in the specified form.

(2) The appeal shall be filed with the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of receipt of the order.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of the order of the Principal Officer of the Mercantile Marine Department issued under sub-section (3) of section 436 of the Act and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal, and the relevant section of the Act.

(4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorized representative in writing or by an advocate duly appointed in this behalf, or by registered post or speed post or through electronic means.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the Appellate Authority on the day it is received.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the Appellate Authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within a period of fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time-period, the Appellate Authority may by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from the date of refusal.

(7) A copy of the appeal along with notice shall be served by the Appellate Authority on the respondent, by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(8) Respondent may, within a period of seven days of service of notice of appeal, file a reply to the Appellate Authority.

(9) The Appellate Authority may call for the records relating to the proceedings from the respective Principal Officer of the Mercantile Marine Department.

(10) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(11) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of thirty days from the date of admission of the appeal.

4. **Order and penalties.** - (1) Every order under these rules, shall be dated, signedand communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

5. **Orders passed by the Appellate Authority**. - (1) Subject to rule 3, the Appellate Authority may–

(a) confirm or modify or set aside or reverse the orders appealed against under sub-section (3) of section 436 of the Act;

(b) confirm or reduce or enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty where no penalty has been imposed:

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be made unless the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against such enhanced penalty and reasons for such enhancement have been duly recorded in writing; and

(c) pass such orders as it may deem fit in the circumstances of the case.

(2) Any penalty shall not exceed the amount of the maximum penalty provided under sub-section (2) of section 436 of the Act.

6. **Effect of orders passed by the Appellate Authority.** - (1) Every order passed by the Appellate Authority under sub-rule (10) of rule 3 shall be final.

(2) Every order passed by the Appellate Authority under rule 3 shall, as soon as practicable, be submitted to the Central Government.

FORM

APPLICATION TO THE APPELLATE AUTHORITY

(See sub-rule (1) of rule 3)

1. Details of the Appellant:

1.1. Name of the Appellant:

1.2. Designation of the Appellant:

1.3. Address of the Appellant:

1.4. Telephone/ Mobile No. of the Appellant:

1.5. Email Id. of the Appellant:

1.6. Name, Address, Telephone/Mobile No. and Email Id.

of the Legal Representative of the Appellant:

2. Details of the Order appealed against under sub-section (3) of section 436 of the Merchant Shipping Act. 1958:

2.1. Date:

2.2. Number:

2.3. Name of Principal officer:

2.4. Address of the Mercantile Marine Department:

2.5. Section of the Merchant Shipping Act, 1958 to which the offence has reference:

2.6. Penalty imposed by the principal officer:

3. Details of Appeal:

***3.1.*Statement of Fact**s:*(Provide a concise statement of facts in a chronological order*

and with paragraph numbers containing an elaboration of issues, including the questions of the law arising in the appeal, each paragraph should deal with as far as possible a separate issue).

3.2. Description of Grievance: *(Provide a concise description of grievance elaborating issues with the order of the principal officer under sub-section (3) of section 436 of the Merchant Shipping Act, 1958).*

3.3. Grounds of Appeal: *(Provide clear grounds of the appeal and concise description of the appeal and the relevant legal provisions, if any, relied upon. See sub-rule (3)of rule 3).*

3.4. Evidence: *(Provide evidence for the justification/ grounds for appeal and in case of more than one evidence, an indexed chronological list thereof).*

3.5. Prayer: *(Clearly stipulate the reliefs sought).*

Place:

Date:

(Signature of Appellant)

[F. No. No. L-11020/1/2022-MG (Part 1) (354601)]

RAJESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.10 22:49:11 +05'30'